



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938

No. 310]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

**सा.का.नि. 469(अ).**—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार तेलंगाना सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2016 होगा।
  - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूचियों में "तेलंगाना" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"तेलंगाना"**

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ झूरी पद	114
	सरकार के मुख्य सचिव	1
	सरकार के विशेष मुख्य सचिव, वित्त	1
	भूमि प्रशासन मुख्य आयुक्त एवं ईओ विशेष मुख्य सचिव	1
	सरकार के प्रधान एचडीडीएफ सचिव	1

सरकार के प्रधान बीसी कल्याण सचिव	1
सरकार के प्रधान शिक्षा सचिव	1
डीजी, डा. एमसीआर एचआरडी संस्थान एवं ईओ मुख्य सचिव	1
मुख्य मंत्री के अपर/निजी सचिव	1

राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं सरकार के ईओ, जी.ए.(निर्वाचन) प्रधान सचिव	1
सरकार के (चुनाव), जीएडी प्रधान सचिव	1
सरकार के एचएम एवं एफडब्ल्यू प्रधान सचिव	1
सरकार के आई एवं सीएडी प्रधान सचिव	1
सरकार के एमए एवं यूडी प्रधान सचिव	1
सरकार के योजना एवं ईओ, डीजी, टीएसआरएसी प्रधान सचिव	1
सरकार के पीआर एवं आरडी, आरडब्ल्यूएस, आरएसएडी प्रधान सचिव	1
सरकार के राजस्व और आर एवं एस प्रधान सचिव	1
सरकार के उत्पाद, सीटी एवं अक्षय निधि प्रधान सचिव	1
सरकार के टीआर एवं बी प्रधान सचिव	1
सरकार के ए एवं सी और एपीसी सचिव	1
सरकार के ईएफएस एवं टी सचिव	1
सरकार के उर्जा सचिव	1
सरकार के वित्त (आई एफ) सचिव	1
सरकार के वित्त एवं ईओ, डीजी, सीजीजी सचिव	1
सरकार के (सेवा एवं एचआरएम), जीएडी सचिव	1
सरकार के गृह सचिव	1
सरकार के आवास सचिव	1
सरकार के (पीई और आई एवं आई), आई एवं सी सचिव	1
सरकार के (आई एवं सी, खनन, एफपी, एच एवं टी, एमएसएमसी, शुगर एवं बीटी सचिव	1
सरकार के आईटीई एवं सी सचिव	1
सरकार के एलईटी एवं एफ सचिव	1
सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण सचिव	1

सरकार के एससी विकास एवं आदिवासी कल्याण सचिव	1
सरकार के डब्ल्यूडी, सी एवं डीडब्ल्यू सचिव	1
सरकार के वाईएटी एवं सी सचिव	1
नागरिक आपूर्ति एवं ईओ, सचिव, सीएएफ एवं सीएम आयुक्त	1
आई एवं पीआर एवं ईओ, सचिव, जीएडी आयुक्त	1
सहयोग एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आयुक्त	1
कृषि, बागवानी एवं रेशम उत्पादन आयुक्त	1

मत्स्य पालन आयुक्त	1
बीसी कल्याण, ईओ एमएम, टीएससीबीसी एवं एमडी, डीएसबीसीडब्ल्यूसी आयुक्त	1
विज्ञान संबंधी एवं तकनीकी शिक्षा आयुक्त	1
माध्यमिक शिक्षा आयुक्त और सचिव, माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड, आयुक्त	1
आवास आयुक्त, तेलंगाना भवन, नई दिल्ली	1
पीएच एवं एफडब्ल्यू, ईओ एमडी, एनएचआरएम, पीडी, एआईडीएससीएस और सीईओ, आरोग्य श्री आयुक्त	1
उद्योग एवं शुगर आयुक्त	1
श्रम, आयुक्त	1
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, आयुक्त	1
एमए एवं ईओ एमडी आईपीएमए एवं एमडी टीयूएफआईसी, आयुक्त एवं निदेशक	1
निवारक एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्त	1
वाणिज्यिक कर, आयुक्त	1
पंजीकरण एवं स्टैप, आयुक्त एवं महानिरीक्षक	1
यातायात, आयुक्त	1

	अपर सीसीएलए (अपील, मतर्कता एवं केआरसीसी, सीसीएलए कार्यालय	1
	टीडब्ल्यू एवं ईओ एमडी, टीआरआईसीओआर, एमडी, जीसीसी एवं एसईसीवाई, टीडब्ल्यूआरआईआई, आयुक्त	1
	समाहर्ता	10
	संयुक्त समाहर्ता	11
	पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी	5
	मुख्य राशन अधिकारी, हैदराबाद	1
	निदेशक, मार्केटिंग एवं ई.ओ.एमडी., एसडब्ल्यूसी, एमडी, मार्केड, सीईओ, रायथुबाजार	1
	निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं ईओ, एमडी, एसपीडी, एसएसए	1
	निदेशक, प्रोटोकाल	1
	निदेशक/ओएसडी/आवासीय आयुक्त का कार्यालय, डीएस, नई दिल्ली	1
	निदेशक, आवास एवं ई.ओ., एमडी, डब्ल्यूएसएचपी, ईओ. सीईओ, डीआईएलएल, वीसी एवं एमडी, एचबी एवं एमडी, आरएमजी	1

	निदेशक, हैण्डलूम एवं टेक्सटाइल एवं ई.ओ., एमडी, एपीसीओ	1
	निदेशक, आर एवं आर और एलए.	1
	निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण	1
	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं ई.ओ., निदेशक, टीएसएमएफसी	1
	निदेशक, पीआर एवं आरडी, एवं ई.ओ., एमडी, आरईईएमएपी एवं सीईओ, ईजीएमएम	1
	निदेशक, एसएस एवं एलआर और पीडी, भूभारथी	1
	निदेशक, विन्यास	1
	निदेशक/विशेष आयुक्त, राजस्व (एमडी)	1
	निदेशक, एससी विकास एवं ई.ओ., एमडी, एससीएफसी एवं सचिव, टीएसएमडब्ल्यूआरईआईएम	1

	निदेशक, डब्ल्यूडी, मीडब्ल्यू, जेडब्ल्यू एवं सीएस एवं ई.ओ., एमडी, डब्ल्यूएफसी	1
	निदेशक, पीडब्ल्यूडी व नागरिक एवं ईओ, एमडी, टीएसवीसीसी	1
	निदेशक, युवा सेवा एवं ई.ओ., एमडी, एसएटी	1
	निदेशक, पर्यटन	1
	सरकार अपर/संयुक्त/उप सचिव	2
	अपर आयुक्त, जीएचएमसी	3
	विशेष समाहर्ता, आई एवं सीएडी	3
	सचिव, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग	1
	सतर्कता आयोग के सचिव	1
	अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं ईओ. अपर/संयुक्त/सरकार के उप, जीए (चुनाव) विभाग	1
	सीईओ, डीएसएआरडी एवं एमईआरपी	1
	मुख्य आयुक्त के सचिव, भूमि प्रशासन	1
	संयुक्त/उप आयुक्त, (वाणिज्यिक कर)	1
1.	<b>कुल बरिष्ठ झूटी पद</b>	114
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	45
3.	एमडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	28
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	3
5.	एलआर और जेआर उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	18
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	63
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	145
	<b>कुल प्राधिकृत पद संख्या</b>	208

[सं. 11031/11/2015-अ.भा.से-11(क)]

कविता पद्मनाभन, उप सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, तेलंगाना संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 163 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम तारीख 22 अक्टूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये तेलंगाना संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1	511(अ)	18.07.2014